प्राथमिकता / महत्वपूर्ण
संख्या– 311 / 8–3–2011–22विविध / 2011

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–आवास आयुक्त,
उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3– उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4–सचिव,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3   लखनऊः दिनांक 21 फरवरी, 2011

विषयः भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1894 के प्राविधानों के अन्तर्गत भू–अर्जन प्रस्तावों मे धारा–17 अधिरोपित किये जाने के सम्बंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

भूमि अध्याप्ति अधिनियम,1894 की धारा–17 (अर्जेन्सी क्लाज) का प्राविधान अपरिहार्य परिस्थितियों में विशिष्ट मामलों में लोक प्रयोजन हेतु अधिग्रहीत की जा रही भू–अर्जन के मामलों में ही अधिरोपित किये जाने हेतु किया गया है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि लगभग सभी भू–अर्जन प्रस्तावों में बिना अपरिहार्य एवं आपवादिक परिस्थितियों को इंगित किये एवं बिना पर्याप्त आधार एवं औचित्य के सामान्य रूप से भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1894 की धारा–17 (अर्जेन्सी क्लाज) का प्राविधान अधिरोपित किये जाने हेतु शासन को प्रस्तावित किया जा रहा है।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के अर्जन प्रस्तावों के साथ भूमि अध्याप्ति अधिनियम,1894 की धारा–17(अर्जेन्सी क्लाज) अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए भू–अर्जन प्रस्ताव प्रेषित किये जाये :–

(1) भू–अर्जन सम्बन्धी प्रस्तावों में भूमि अध्याप्ति अधिनियम,1894 की धारा–17 (अर्जेन्सी क्लाज) आपवादिक एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अधिरोपित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया जाय तथा इसका पर्याप्त आधार एवं औचित्य सुस्पष्ट कारणों सहित इंगित किया जाय क्योंकि इस धारा का उपयोग करते ही भू–स्वामियों को सुनवाई का अधिकार

समाप्त हो जाता है। इसके लिए प्रोजेक्ट की तात्कालिकता को इंगित करते हुए यह दर्शित किया जाय कि प्रोजेक्ट को एक निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना है तथा धारा–17(अर्जेन्सी क्लाज) अधिरोपित न किये जाने से कौन–कौन से अवरोध उत्पन्न होंगे तथा परियोजना को कितनी हानि होगी।

(2) भूमि अर्जन प्रस्ताव प्रेषित करने के पूर्व भू–अर्जन के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था भी कर ली जाय।

(3) अर्जित की जा रही भूमि का भौतिक कब्जा नियमानुसार समय से प्राप्त कर लिया जाय।

(4) परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुर्नस्थापन एवं पुर्नवास के सम्बंध में राष्ट्रीय पुर्नस्थापन एवं पुर्नवास नीति के अनुसार 'पुर्नवास प्रशासक' एवं 'पुर्नवास आयुक्त' की नियुक्ति तुरन्त कर दी जाय और उक्त नीति में उल्लिखित प्राविधानों/निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) पुर्नवास प्रशासक एवं पुर्नवास आयुक्त की देखरेख में ही प्रभावित परिवारों के पुर्नस्थापन एवं पुर्नवासन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। जहां पर परियोजना से प्रभावित परिवारों की संख्या–500 से कम होगी वहां 'प्रशासक' एवं 'आयुक्त' की नियुक्ति नहीं की जायेगी किन्तु परियोजना से प्रभावित परिवारों को राष्ट्रीय पुर्नस्थापन एवं पुर्नवास नीति के अनुसार समस्त लाभ समानता व एकरूपता की दृष्टि से दिये जायेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
सचिव।

संख्या– (1)/8–3–2011

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त एवं निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।

2– अपर निदेशक (नियोजन), आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए शासनादेश की प्रतियां सभी सम्बंधित को प्रेषित करने का कष्ट करें।

3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव।